

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 73/2022

उनवान

1. सायरी बाई पत्नि चम्पा लाल चमार निवासी दलेल सिंह का खेडा हमीरगढ तह हमीरगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. देवा पुत्र उदा बैरवा नि० पातलियास तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. गरिमा चौहान पत्नि अरुण चौहान मोची नि० 19 मेन सेक्टर शास्त्रीनगर, भीलवाडा।
3. भगवान लाल पुत्र मांगु बैरवा निवसी पातलियास तह हमीरगढ।
4. शंकर लाल पुत्र मांगु बैरवा निवसी पातलियास तह हमीरगढ।
5. मुकेश पुत्र गणपत लाल खटीक निवासी मंगरोप तह हमीरगढ।
6. राजू लाल पुत्र गणपत लाल खटीक निवासी मंगरोप तह हमीरगढ।
7. काना पुत्र देवा बैरवा निवासी पातलियास तह० हमीरगढ।
8. पप्पू लाल पुत्र धन्ना बैरवा निवासी पातलियास तह० हमीरगढ।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 23.06.2022

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 08.04.2021 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पातलियास प.ह. पीपली भू०अ०नि० क्षेत्र मंगरोप तह हमीरगढ में उसके खाते की खाता संख्या 91 की कृषि भूमि की आ०न० 195 रकबा 0.0126है०, आ०न० 196 रकबा 0.0126है०, आ०न० 197 रकबा 0.1138है०, आ०न० 197/2 रकबा 0.1391है०, आ०न० 197/3 रकबा 0.0379 है०, आ०न० 198 रकबा 0.8219है०, आ०न० 198/1 रकबा 0.0253है०, आ०न० 199 रकबा 0.1391है०, कुल कित्ता 08 रकबा 1.3023 है० भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 03.06.2022 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायत 19 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये

4. शंकर लाल पुत्र मांगु बैरवा निवासी पातलियास तह हमीरगढ।
5. मुकेश पुत्र गणपत लाल खटीक निवासी मंगरोप तह हमीरगढ।
6. राजू लाल पुत्र गणपत लाल खटीक निवासी मंगरोप तह हमीरगढ।
7. काना पुत्र देवा बैरवा निवासी पातलियास तह0 हमीरगढ।
8. पप्पू लाल पुत्र धन्ना बैरवा निवासी पातलियास तह0 हमीरगढ।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 23.06.2022

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 08.04.2021 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पातलियास प.ह. पीपली भू0अ0नि0 क्षेत्र मंगरोप तह हमीरगढ में उसके खाते की खाता संख्या 91 की कृषि भूमि की आ0न0 195 रकबा 0.0126है0, आ0न0 196 रकबा 0.0126है0, आ0न0 197 रकबा 0.1138है0, आ0न0 197/2 रकबा 0.1391है0, आ0न0 197/3 रकबा 0.0379 है0, आ0न0 198 रकबा 0.8219है0, आ0न0 198/1 रकबा 0.0253है0, आ0न0 199 रकबा 0.1391है0, कुल कित्ता 08 रकबा 1.3023 है0 भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 03.06.2022 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायत 19 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।


—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है ग्राम हमीरगढ प.ह. हमीरगढ भू0अ0नि0 क्षेत्र हमीरगढ तह हमीरगढ में उसके खाते की खाता संख्या 221 की कृषि भूमि की आ0न0 1237 रकबा 0.5058है0, आ0न0 1239 रकबा 0.0379है0, आ0न0 1241 रकबा 0.0632 है0, आ0न0 1242 रकबा 0.4805है0, आ0न0 1243 रकबा 0.3414है0, आ0न0 1244 रकबा 0.0379है0, आ0न0 3808 रकबा 1.3277है0, आ0न0 3917/1239 रकबा 0.0253है0, आ0न0 4095/1245 रकबा 0.1265है0, कुल कित्ता 09 रकबा 2.9462 है0

उपस्थित अधिकारी
हमीरगढ, जिला-भीलवाडा

जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 600/-रु० पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रु० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 23.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर रहे।


(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिष्ठाता
हमीरगढ़
हमीरगढ़, जिला-भरतवाड़ा